न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 41/2017

श्री मोहम्मद सद्दीक पिता ईदू जाति मुस्लमान उम्र 63 वर्ष निवासी कानिया, तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

---------वादी

बनाम

1. श्री रमजान मोहम्मद पिता ईदू जाति मुस्लमान उम्र 66 वर्ष निवासी बरल द्वितीय, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर
2. श्री रजाक मोहम्मद पिता ईदू जाति मुस्लमान उम्र 55 वर्ष निवासी कानिया, तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. श्रीमति बशीरन बानू पत्नि रमजान मोहम्मद जाति मुस्लमान उम्र 63 वर्ष निवासी बरल द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर जिला अजमेर

------प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय दिनांक 15.07.2020

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2019 को निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारीत की गई। जिसके तहत तहसीलदार बिजयनगर को पत्र कमांक 266 दिनांक 10.10.2019 को डिक्री की पालना हेतू तहरीर जारी की गई। अनुपालना में तहसीलदार बिजयनगर ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्र कमांक भू.अ./2020/666 दिनांक 12.03.2020 को प्रस्तुत किया गया। उपस्थित वादी एव प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपान्त अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होंने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौजा बरल द्वितीय पटवार हल्का बरल द्वितीय तहसील बिजयनगर में स्थित खसरा नंबर 427/1 रकबा 0.4746 हैक्टर को मोहम्मद सद्दीक पुत्र ईदू जाति नीलगर सा0 देह राहिन एच. डी.एफ.सी.बैक लिमिटेड शाखा बिजयनगर एवं खसरा नंबर 427/2 रकबा 0.2849 हैक्टर रज्जाक मोहम्मद पुत्र ईदू जाति नीलगर सा0 देह खातेदार एवं खसरा नंबर 427/3 रकबा 0.1678 हैक्टर बशीरन बानू पत्नि रमजान मोहम्मद जाति नीलगर सा0 देह खातेदार एवं खसरा नंबर 427/4 रकबा 0.1812 हैक्टर व 1789/418 रकबा 0.2710 हैक्टर रमजान मोहम्मद पुत्र ईदू जाति नीलगर सा0 देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बिजयनगर एवं (शामलाती रास्ते हेतु) खसरा नंबर 427/5 रकबा 0.0443 हैक्टर रज्जाक मोहम्मद व रमजान मोहम्मद पिता ईदू जाति नीलगर सा0 देह खातेदार रमजान मोहम्मद पिता ईदू का हिस्सा राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बिजयनगर जाती नीलगर साकिन देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बिजयनगर को यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम करने एंव लगान कायम करने तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.08.04 13:17:04 IST
Reason: SelfAttested